संख्या-800/22-4-2010-703/74

प्रेषक,

सत्य प्रकाश पंखा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0,लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक-22 अप्रैल,2010

विषयः- 14 अंक, 10 अंक एवं डेढ़ अंक सूत की क्रय व्यवस्था हेतु क्रयानुमोदन।

महोदय,

महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की बैठक दि.-03.07.2009 में की गयी संस्तुतियों एवं उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र सं0-20867/उद्योग-2 दि.-21.7.2009, पत्र सं0-20866/उद्योग-2 दि. -21.7.2009 एवं पत्र सं0-20868/उद्योग-6/09 दि.-21.7.2009 में किये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त कच्चे माल के रूप में प्रयोज्य सूत के क्रय हेतु अनुमोदन निम्नवत एवं आगे अंकित शर्तों के अधीन दिया जाता है:-

क्र.	सामग्री का नाम	मात्रा (कु. में)	स्पेशीफिकेशन	फर्म का नाम	दर	कुल धनराशि (रूपये में)
1	10 अंक सूत	185.00	काटन यार्न ग्रे (इंगलिशकाउन्ट) इन स्ट्रेट रील इन हैंक्स-(या नए पुनरीक्षण में)	मे0 सुमन एजेन्सीज महावीर बाजार नई दिल्ली	10250/-	18,96,250.00
2	14 अंक सूत	685.20	आई0एस0नं0 171-1973 (रिंग फ्रेम कोन में) -(या नए पुनरीक्षण में)	मे0बिन्दकीप्लास्टोफैब प्रा0लि0 कानपुर	11900/-	81,53,880.00
3	1.5 अंक सूत	256.85	आई0एस0नं0 171-1973 (रिंग फ्रेम कोन में) -(या नए पुनरीक्षण में)	मे0बिन्दकीप्लास्टोफैब प्रा0लि0 कानपुर	5450/-	13,99,833.00
	योग					1,14,49,963.00
	(रूपये-एक करोड़ चौदह लाख उनचास हजार नौ सौ तिरेसठ मात्र)					

क- प्रश्नगत क्रय शासन की क्रयनीति,सामग्रीक्रम नियमों/विनियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों यथा शासनादेश सं-2177/एल/18-7-94-151 (एस.पी)/82 दि0-17.10.94 एवं शासनादेश सं0-344/18-5-2003-76(एस. पी.) /86 दिनांक-10.03.03 का पूर्ण अनुपालन करते हुये किया जायेगा ।

PTO

ख- क्रय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता, न्यूनतम मूल्य दर, समयबद्ध आ उसका पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित करने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 का होगा ।

ग- आपूर्ति कर्ता फर्मों एवं महानिरीक्षक कारागार के मध्य क्रय से पूर्व सम्यक् किया जायेगा ।

घ- प्रश्नगत क्रय से सम्बन्धित संविदा/अनुबन्ध की प्रतिलिपि सीनियर आडिट (आडिट प्लानिंग) कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा)प्रथम उ0प्र0 थार्न इलाहाबाद-211001 को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जायेगी ।

ङ- क्रय की गई सामग्री का पूर्ण उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 20 सुनिश्चित किया जाय तथा उपयोग की वित्तीय भौतिक त्रैमासिक रिपोर्ट श नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी ।

च- क्रय की कार्यवाही पूर्ण होने पर महानिरीक्षक कारागार द्वारा इसकी सूचन को उपलब्ध कराई जायेगी ।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पंखा)
अनु सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-800(1)/22-4-2010- तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सीनियर आडिट आफीसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाका परीक्षा)प्रथम उ0प्र0 थार्नहिल रोड इलाहाबाद-211001
2- महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद
3- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी ।
4- गार्डबुक

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश पंखा)
अनु सचिव।